सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0परिवहन निगम, बिजनौर
जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 विन्दुओं पर सूचना

क्र0सं0	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य	परिवहन निगम रोड ट्रास्पोर्ट कारपोरेशन एक्ट 1950 के अधीन जन सामान्य को एकीकृत, समन्वित व सस्ती सड़क परिवहन सेवायें उपलब्ध कराता है। वर्तमान में साधारण एवं वातानुकूलित बसों का संचालन हो रहा है परिवहन निगम के संचालन हेतु प्रबन्ध निदेशक में अधिनियम द्वारा विभिन्न शाक्तियां निहित है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है तथा बिजनौर में एक डिपो कार्यरत है।
2.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य	अधिनियम द्वारा परिवहन निगम के कारोबार के संचालन हेतु शक्तियाँ निगम बोर्ड व प्रबन्ध निदेशक को दी गई है जो यथा आवश्यकता निगम के अधिकारियों को प्रतिनिधायन की गई है। परिवहन निगम एक स्वायत शासी उद्योग है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	डिपो में निगम अधिकारियों व कर्मचारियों के पद है (1) स0क्षे0प्र0 संचालन शाखा में अधीक्षक, स्टेशन प्रभारी, निरीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चालक, परिचालक, मजदूर, चौकीदार के पद है। प्राविधिक शाखा में, सीनियर फोरमैन, जू0फो0, मैकेनिक, स0मैकेनिक, बल्व नाइजर, स0 बल्क नाइजर, स0 विघुत कार, फिटर, स्टोर कीपर के पद है। प्रशासकीय कार्यालय में का0स0 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मिकों सहित वरिष्ठ लेखाकार की तैनाती है।
4.	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	डिपो के लिए लक्ष्य निगम मुख्यालय द्वारा निर्धारित किये जाते हे।
5.	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	निगम में वाहन उत्पादकों द्वारा मरम्मत के स्थापित मानदण्ड है तथा निगम की भी नियमावली है। इसके अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेश व विनियम के अनुसार व्यवस्था चलाई जा रही है।
6.	ऐसे दस्तावेज की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन द्वारा निगम मुख्यालय द्वारा संसूचित अभिलेख सुरक्षित है व तद्नुसार कार्यवाही की जाती है।

7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिऐ विद्यमान है।	जनता तथा यात्रियों से नित्य सम्पर्क किया जाता है व माननीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर कार्यवाही की जाती है। परिवहन निगम बोर्ड में जनप्रतिनिधि सरकार द्वारा नामित है।
8.	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डों परिषदों समितियों तथा अन्य निकाय की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसे बैठक के कार्यवृत्त लोग के लिए सुलभ है।	जिला प्रशासन द्वारा पारित आदेश /निर्देशो पर कार्यवाही की जाती है तथा व्यवस्था को तद्नुसार उन्मुख रखा जाता है।
9.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका	परिवहन निगम शासन व शासन द्वारा गठित निगम बोर्ड के निर्देशन में संचालित होता है तथा यह उ0प्र0 सरकार का एक उपक्रम है।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।	कर्मचारियों के परिश्रमिक की सूचना परिवहन निगम मुख्यालय तथा कारखाना अधिनियम 1948 के तहत सम्बन्धित अधिकारियों को निर्धारित समय पर उपलब्ध कराई जाती है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टिंग की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट।	परिवहन निगम स्वामत प्रशासी संस्था है व प्रबन्ध निदेशक के आदेशानुसार व्यय आदि होते है। यहां पर आहरण/ वितरण अधिकारी क्षेत्रीय प्रबन्धक मुरादाबाद है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्बधित है।	सभी प्रयोजन के लिये धन आहरण/ वितरण अधिकारी से प्राप्त होता है।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ	लागू नही है।
14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसकों उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	निगम की समस्त सूचनायें उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती है व मुख्यालय से मीडिया को उपलब्ध कराई जाती है।

15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घटे सम्मिलित है।	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नही है।
16.	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	जनसूचना अधिकारी डिपो स्तर पर श्री मनोज कुमार पुन्डीर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक बिजनौर है।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
बिजनौर।